उत्तर मध्य रेलवे

मुख्यालय
सतर्कता विभाग
इलाहाबाद

गोपनीय

पत्र संख्या : 2017/05/02226/PC/V1/N/ ALD

SIV No.03/2018

दिनांक: 27.02.2018

प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक
उत्तर मध्य रेलवे
इलाहाबाद

विषय: सप्लायर द्वारा स्थानीय खरीद के रिटेल दवाओं की सप्लाई न करने पर लगने वाली पेनल्टी के सम्बन्ध में

सतर्कता विभाग द्वारा एक जांच मे पाया गया कि जो दवाऐं, रिटेल सप्लायरों को आर्डर देने के बाद सप्लाई नहीं की जाती हैं, उन दवाओं पर चिकित्सा विभाग द्वारा फर्मों के रजिस्ट्रेशन के समय दी गई शर्तः—

"If supplier fails to deliver to supply in time, then Railway Hospital will be free to purchase the items from alternative sources and cost difference if any, will be recovered from the supplier. In addition to that a penalty of Rs. 50 per item will have to imposed on the supplier if there is a negligence found by railway authority. If any item is supplied in less quantity penalty will be imposed in same ratio" के अनुसार पेनल्टी काटे जाने का प्रावधान है।

जांच मे पाया गया कि ऐसे प्रकरणों मे केवल 50 रुपये प्रति आईटम पेनल्टी लगाई गई एवं रिटेल सप्लायरों से दवाओं के प्राप्त ना होने पर चिकित्सा प्रशासन द्वारा अन्य स्त्रोत से व्यवस्था नहीं की गई। जब कि शर्त के अनुसार उन दवाओं को अन्य स्त्रोत से खरीद कर मूल्यों के अन्तर को पेनल्टी के साथ जोड कर काटा जाना था। अतः इस सम्बन्ध में system improvement प्रस्तावित है कि – ऐसी परिस्थितियों में सप्लायर द्वारा सप्लाई ना की जाने वाली दवाओं को अन्य स्त्रोत से प्राप्त किया जाए तथा दवा के मूल्यों के अन्तर को पेनल्टी के साथ जोड कर काटा जाए। पर यदि बाजार में प्रयास करने पर भी दवा न मिले तभी फार्मासिस्ट द्वारा बिल में, स्पष्ट रुप से किए गए प्रयास का ब्यौरा लिख, न्यूनतम निर्धारित पेनल्टी काटी जाए। यदि फर्म लगातार आपूर्ति करने में विफल होती है, तो अगली बार क्रय के समय निविदा समिति इस पर विचार करते हुए उचित कार्यवाही करे।

कृपया उपरोक्त प्रस्तावित प्रणाली सुधार पर चिकित्सा विभागाध्यक्ष शीध्र अपने सुझाव से अवगत कराने का कष्ट करें जिससे इस प्रणाली सुधार पर शीध्र कार्यवाही करते हुए जारी किया जा सके।

अओझा 27.2.2018
(अमिताभ ओझा)
वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक
उत्तर मध्य रेलवे